अनुदान संख्या 42 – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 42 - DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	104590,24,00	136433,94,00	91604,71,98	-44829,22,02
पूरक	Supplementary	31843,70,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				21975,25,61
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1733,60,00	4371,88,00	3586,99,42	-784,88,58
पूरक	Supplementary	2638,28,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				667,90,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹4482922.02 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹3184370.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹4482922.02 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3184370.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 33 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat- Social Services					
मू.	O.	20500.00				
				20016.73	19287.22	-729.51
पु.	R.	-483.27				
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits					
मू.	O.	175017.00				
पू.	S.	2.00		280502.00	279411.33	-1090.67
पु.	R.	105483.00				
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health					
मू.	O.	4195941.00				
पू.	S.	711083.00		3633085.19	3058343.43	-574741.76
पु.	R.	-1273938.81				
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare					
मू.	O.	314786.00				
पू.	S.	5093.00		301979.80	277137.18	-24842.62
पु.	R.	-17899.20				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	796659.00				
पू.	S.	131370.00		131372.00	..	-131372.00
पु.	R.	-796657.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	4789920.00			
पू.	S.	2097736.00	6675135.44	5196488.53	-1478646.91
पु.	R.	-212520.56			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	144329.00			
पू.	S.	185286.00	328405.23	254610.44	-73794.79
पु.	R.	-1209.77			

(I) ₹3720225.00 लाख का प्रावधान (₹2000001.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इकहत्तर शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3716283.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹3720225.00 lakhs (including supplementary grants of ₹2000001.00 lakhs) remained wholly unutilized under seventy one heads; of these ₹3716283.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(A) Major Head "2210" -

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण" –

(a) "Medical Education, Training and Research- Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts" -

(i) "राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को अंतरण के लिए निधि" – ₹363190.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण।

(i) "Fund for transfer to National Investment Fund (NIF)" - ₹363190.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से सहायता" – ₹12700.00

(ii) "Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" -

लाख का पूरक प्रावधान; और

(ख) "लोक स्वास्थ्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण" –

(i) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) से सहायता" – ₹700.00 लाख का पूरक प्रावधान।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) "राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से सहायता" – ₹700.00 लाख; और

(ग) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण" –

(i) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹558000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) पीएमएसएसएन से सहायता" – ₹299614.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" – "आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) को अंतरण के लिए निधियां" – ₹5093.00 लाख का पूरक प्रावधान।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

supplementary provision of ₹12700.00 lakhs; and

(b) "Public Health - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts" -

(i) "Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" - supplementary provision of ₹700.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-finalisation of accounting procedure.

(ii) "Support from National Investment Fund (NIF)" - ₹700.00 lakhs; and

(c) "General - Transfer to Reserve Funds/ Deposits Accounts" -

(i) "Funds for transfer to National Investment Fund" - ₹558000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to reduction of provisions at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Support from PMSSN" - supplementary provision of ₹299614.00 lakhs; and

(B) Major Head "2211" - "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" - supplementary provision of ₹5093.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-finlisation of accounting procedure.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552"

(क) "परिवार कल्याण – निदेशन और प्रशासन" –

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" – ₹621.00 लाख;

(ii) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹24492.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण – जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" –

(i) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹148136.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹3196.00 लाख;

(iii) "आशा लाभ पैकेज" – ₹3790.00 लाख;

(ग) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालय तथा अस्पताल खोले जाना" – ₹3000.00 लाख;

(घ) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एलोपैथी" –

(i) "इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" – ₹31032.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "क्षेत्रीय चिकित्सा, विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹35464.00 लाख;

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" –

(C) Major Head "2552" -

(a) "Family Welfare - Direction and Administration" -

(i) "Regional Health Offices" - ₹621.00 lakhs;

(ii) "Infrastructure Maintenance" - ₹24492.00 lakhs;

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health Programme" -

(i) "NRHM - RCH Flexible Pool" - ₹148136.00 lakhs;

(ii) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹3196.00 lakhs;

(iii) "ASHA Benefit Packages" - ₹3790.00 lakhs;

(c) "Urban Health Services - Allopathy - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries and Hospitals" - ₹3000.00 lakhs;

(d) "Medical Education, Training and Research Allopathy" -

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" - ₹31032.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹35464.00 lakhs;

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health

₹5320.00 लाख;

(LGBRIMH), Tejpur" - ₹5320.00 lakhs;

(iv) "क्षेत्रीय पैरामेडीकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल" – ₹3546.00 लाख;

(iv) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - ₹3546.00 lakhs;

(v) स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन" – ₹32043.00 लाख;

(v) "Human Resources for Health and Medical Education" - ₹32043.00 lakhs;

(ड.) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(e) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹29590.00 लाख;

(i) "National AIDS and STD Control Programme" - ₹29590.00 lakhs;

(ii) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹17885.00 लाख;

(ii) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹17885.00 lakhs;

(iii) "गैर – संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹5242.00 लाख;

(iii) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - ₹5242.00 lakhs;

(iv) "राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹1197.00 लाख;

(iv) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - ₹1197.00 lakhs;

(च) "लोक स्वास्थ्य – अन्य व्यय" –

(f) "Public Health - Other Expenditure" -

(i) "ट्रोमा केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता" – ₹670.00 लाख;

(i) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - ₹670.00 lakhs;

(ii) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹1133.00 लाख;

(ii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹1133.00 lakhs;

(iii) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹42394.00 लाख;

(iii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority (NIF)" - ₹42394.00 lakhs;

(छ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹5000.00 लाख;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹9761.00 लाख;

(iii) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹9116.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन – लचीला पूल" – ₹711.00 लाख;

(v) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1450.00 लाख; और

(vi) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹13261.00 लाख;

उपर्युक्त चौबीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(vii) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" – ₹840.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में स्कीम/परियोजना के अंतर्गत निधियों का कम इस्तेमाल होने के कारण।

(ज) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹12170.00 लाख;

(g) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹5000.00 lakhs;

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹9761.00 lakhs;

(iii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹9116.00 lakhs;

(iv) "National Urban Health Mission - Flexible Pool" - ₹711.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹1450.00 lakhs; and

(vi) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹13261.00 lakhs.

Provisions under the above twenty four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" - ₹840.00 lakhs - due to low absorption of funds under the scheme/project in the North Eastern Region and Sikkim.

(h) "Tribal Area Sub - Plan" -

(i) "Infrastructure Maintenance" - ₹12170.00 lakhs;

(ii) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान एलोपैथी" – ₹5056.00 लाख;

(iii) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹32674.00 लाख;

(iv) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹4834.00 लाख;

(v) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1241.00 लाख;

(vi) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹6869.00 लाख; और

(झ) "आरक्षित निधियों / जमा लेखों को अंतरण" –

(i) "राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹301659.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं / स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों / निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹131369.00 लाख का पूरक प्रावधान – लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(ii) "Medical Education, Training and Research Allopathy" - ₹5056.00 lakhs;

(iii) "NRHM-RCH Flexible Pool" - ₹32674.00 lakhs;

(iv) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - ₹4834.00 lakhs;

(v) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - ₹1241.00 lakhs;

(vi) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - ₹6869.00 lakhs; and

(i) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts" -

(i) "Fund for Transfer to National Investment Fund (NHM)" - ₹301659.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "Funds for Transfer to Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" - supplementary provision of ₹131369.00 lakhs - due to non-finalisation of accounting procedure.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम" – ₹1000.00 लाख – वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(a) "Central Assistance/Share - Senior Citizens Health Insurance Scheme" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from State Governments for implementation of Senior Citizens Health Insurance Scheme.

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹1489986.00 लाख का पूरक प्रावधान; और

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)"- supplementary provision of ₹1489986.00 lakhs; and

(ड.) "मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अंतरण के लिए निधि" – ₹60538.00 लाख का पूरक प्रावधान।

(E) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for transfer to Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi (PMSSN)" - supplementary provision of ₹60538.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-finalisation of accounting procedure.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक स्वास्थ्य – निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत – संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹243835.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8975.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹252810.00 लाख किया गया। तथापि, ₹13843.89 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कम मूल्य में औषधियों की उपलब्धता/अधिप्राप्ति होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण लाभार्थियों की ओर से मांग में कमी आने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2210" - "Public Health - Direction and Administration - Flexible Pool for Communicable Diseases" - the Original provision of ₹243835.00 lakhs was augmented to ₹252810.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8975.00 lakhs. However, there was a saving of ₹13843.89 lakhs (including supplementary grant) - due to availability/procurement of drugs at lower price under National Viral Hepatitis Control Programme and decrease in demand from beneficiaries owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "2210" – "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण – आपातकालीन महामारी तैयारी तथा प्रतिक्रिया के लिए पूर्तियां तथा सामानों की अधिप्राप्ति" के अंतर्गत – पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹362599.90 लाख की निधि मुहैया कराई गई थी जो, तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण औषधियों और सामग्रियों की अधिप्राप्ति धीमी गति से होने के कारण ₹207730.19 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2210" - "Public Health - Prevention and Control of Diseases - Procurement of Supplies and Materials for Emergency Epidemic Preparedness and Response" - funds of ₹362599.90 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹207730.19 lakhs -due to slow progress in procurement of drugs and supplies owing to COVID-19 pandemic.

(IV) "मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत" – ₹1207.78 लाख की बचत (₹20495.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों के न भरे जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी" –

(क) "चिकित्सा भंडार डिपो – डिपो" – ₹791.50 लाख की बचत (₹5840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की गति धीमी होने और सामग्रियों और बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) "अस्पताल तथा औषधालय" –

(i) "डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹13052.12 लाख की बचत (₹70010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्नात्कोत्तर डाक्टरों की नफरी को एवीआईएमएस की नफरी में अंतरित किए जाने, कोविड–19 महामारी के कारण निविदाओं की कार्रवाई न होने, सामग्रियों की प्राप्ति न होने तथा परिवहन सेवाएं बंद होने और लॉकडाउन के कारण अस्पताल स्टाफ के होटल आवास में कमी होने के कारण हुई।

(ii) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹526.05 लाख की बचत (₹12755.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अस्पताल के कम बिल प्राप्त होने/निपटान होने और

(IV) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Health & Family Welfare" - saving of ₹1207.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20495.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, freezing of dearness allowance, less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and receipt of less Leave Travel Concession and medical reimbursement claims

(V) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy" -

(a) "Medical Stores Depots -Depots" - saving of ₹791.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5840.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, slow progress of work by Central Public Works Department and non-receipt of supplies and bills owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Hospitals and Dispensaries" -

(i) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - saving of ₹13052.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70010.00 lakhs) was due to transfer of Post-Graduate doctors from Hospital strength to AVIMS Strength, non-processing of tenders, non-receipt of supplies owing to COVID-19 pandemic, discontinuation of transport services and reduction of hotel accommodation of hospital staff after the lock-down.

(ii) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹526.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12755.00 lakhs) was due to receipt/ settlement of less bills of hospital

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकार की तुलना में कम व्यय दर्ज कराए जाने के कारण हुई।

owing to COVID-19 pandemic and less expenditure booked by Central Public Works Department against authorisations.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" –

(B) "Medical Education, Training and Research" -

(क) "एलोपैथी" –

(a) "Allopathy" -

(i) "कैंसर अनुसंधान" – ₹9487.04 लाख की बचत (₹14567.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(i) "Cancer Research" - saving of ₹9487.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14567.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.

(ii) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹26065.00 लाख की बचत (₹348996.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण बंद किए जाने के कारण हुई।

(ii) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - saving of ₹26065.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹348996.00 lakhs) was due to discontinuation of Higher Education Funding Agency Loan for creating infrastructure.

(iii) "अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान" – ₹8530.00 लाख की बचत (₹12940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र भवन के सौंपे जाने में विलंब के कारण इस भवन के लिए उपकरणों की अधिप्राप्ति न होने, संग्रहालय पूरा होने में विलंब होने तथा संस्थान के कानपुर परिसर बनाने के लिए संविदा के निष्पादन में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) "Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore" - saving of ₹8530.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12940.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year, non-procurement of equipments for the Centre of Excellence building owing to delay in handing over of building by CPWD, delay in completion of Museum and delay in execution of contract for establishing Kanpur Complex of the Institute.

(iv) "क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी" – ₹18211.00 लाख की बचत (₹100000.00 लाख के स्वीकृत

(iv) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research (JIPMER) Puducherry" - saving of

प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(v) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹94266.17 लाख की बचत (₹535210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना बनाने के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण बंद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹153081.25 लाख की बचत (₹373210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने और अवसंरचना बनाने के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी ऋण बंद किए जाने के कारण हुई।

(गा) "लोक स्वास्थ्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" – ₹697.05 लाख की बचत (₹4812.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, नई यूनिटों की स्थापना नहीं होने और कोविड–19 महामारी के कारण येलो फीवर टीकाकरण की कम आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" –

(i) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" – ₹1004.00 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानसिक

₹18211.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the Institute.

(v) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - saving of ₹94266.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹535210.00 lakhs) was due to discontinuance of Higher Education Funding Agency Loan for creating Infrastructure.

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Support from Central Roads and Infrastructure Fund (CRIF)" - saving of ₹153081.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹373210.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and discontinuation of Higher Education Funding Agency Loan for creating infrastructure.

(C) "Public Health" -

(a) "Direction and Administration - Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of ₹697.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4812.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-establishment of new units and less requirement of Yellow Fever Vaccination owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Mental Health Programme" - saving of ₹1004.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1450.00

स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना में विलंब के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" – ₹4022.99 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iii) "राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹709.37 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(iv) "संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹863.49 लाख की बचत (₹2182.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मांग/बिलों की कम प्राप्ति होने और जारी किए गए प्राधिकार की तुलना में बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम निधियों का उपयोग करने के कारण हुई; और

(v) "गैर–संचारी रोगों के लिए लचीला पूल" – ₹1026.54 लाख की बचत (₹1639.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम मांग/बिलों की प्राप्ति होने और जारी किए गए प्राधिकार की तुलना में बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(vi) "ट्रॉमा केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता" – ₹1634.04 लाख की बचत (₹1830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

lakhs) was due to delay in establishing Mental Health Authority.

(ii) "National Programme for Health Care for the Elderly" - saving of ₹4022.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs); and

(iii) "National Programme for Control of Blindness" - saving of ₹709.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(iv) "Flexible Pool for Communicable Diseases" - saving of ₹863.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2182.00 lakhs) was due to receipt of less demand/bills and utilisation of less funds by the Union Territories without legislature against the authorization issued.

(v) "Flexible Pool for Non-Communicable Diseases" - saving of ₹1026.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1639.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards other establishment related expenditure, receipt of less demand/bills and utilization of less funds by the Union Territories without legislature against the authorization issued.

(vi) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centers" - saving of ₹1634.04 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) प्रतिपूर्ति आधार की वित्तपोषण पद्धति में बदलाव के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से हुई।

(vii) "एनसीडीसी शाखाओं तथा स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण – जूनोटिक बीमारियों तथा अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों की तैयारी तथा नियंत्रण के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपाटाइटिस, एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोधकता की निगरानी" – ₹2611.57 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण स्कीम के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में धीमी गति, कम दौरे किए जाने, भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा उच्चस्तरीय उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आईईसी सामग्री को अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "खाने के सामानों में मिलावट की रोकथाम – भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" – ₹7506.00 लाख की बचत (₹28371.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण संस्थान के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने, भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने और स्थापना संबंधी खर्चे कम होने के कारण हुई।

(घ) "औषध नियंत्रण" –

(i) "केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" – ₹1115.42 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों

provision of ₹1830.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from implementing agencies owing to change in funding pattern to reimbursement basis.

(vii) "Establishment and strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter Sectoral Co-ordination for Preparation and Control of Zoonotic diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹2611.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of various components of the scheme, less tours undertaken, delay in recruitment process, non-procurement of computer software and high end equipments owing to COVID-19 pandemic and non-approval of Information, Education & Communication (IEC) material by the competent authority.

(c) "Prevention of Food Adulteration - Food Safety and Standards Authority of India" - saving of ₹7506.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28371.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the institution, delay in recruitment process and less establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(d) "Drug Control" -

(i) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹1115.42 lakhs (against the sanctioned

को न भरे जाने, कार्यालय उपकरणों की कम खरीद होने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण संबंधी परियोजनाओं में निधियों का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹12500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less purchase of office equipments and non-utilisation of funds by Central Public Works Department for various construction projects.

(ii) "भारतीय औषधकोश आयोग" – ₹714.49 लाख की बचत (₹2185.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन निर्माण कार्य न किए जाने के कारण कम अनुदान जारी किए जाने की वजह से हुई।

(ii) "Indian Pharmacopoeia Commission" - saving of ₹714.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2185.00 lakhs) was due to release of less grants owing to non-carrying out of building construction works.

(ङ) "सेरा/वैक्सीन का निर्माण – भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर को अनुदान" – ₹2279.00 लाख की बचत (₹6179.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने, निष्पादन अर्हकता कार्यकलाप न किए जाने, डिप्थीरिया, पेर्तुस्सिस और सिटिनेस ग्रुप वैक्सीन के परीक्षण बैच का उत्पादन होने, सामग्री, मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(e) "Manufacture of Sera/Vaccine - Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹2279.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6179.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the Institute, postponement of performance qualification activities and trial batch production of Diphtheria, Pertussis & Tetanus (DPT) group of vaccine, non-procurement of materials, machinery and equipments.

(च) "लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं – केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" – ₹1048.18 लाख की बचत (₹5077.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(f) "Public Health Laboratories - Central Research Institute, Kasauli" - saving of ₹1048.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5077.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(छ) "अन्य व्यय" –

(g) "Other Expenditure" -

(i) "राष्ट्रीय आरोग्य निधि" – ₹13295.05 लाख की बचत (₹17732.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैंसर तथा अन्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों से व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(i) "Rashtriya Arogya Nidhi" - saving of ₹13295.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17732.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from patients suffering from cancer and other rare diseases.

(ii) "केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहलें" – ₹2766.49 लाख की बचत (₹3328.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण एवं ऊतक संगठन/राज्य अंग और ऊतक प्रत्योरोपण संगठनों के खोले जाने में विलंब के कारण हुई।

(iii) अन्य स्वास्थ्य स्कीमें (प्रायोगिक)" – ₹512.74 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण खर्च धीमी गति से होने की वजह से हुई।

(iv) "आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए मानव संसाधन विकास" – ₹4673.09 लाख की बचत (₹6405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रासायनिक, जीव वैज्ञानिक, रेडियोलोजिकल और न्यूक्लियर (बीआरएन) केन्द्रों की समग्र परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से आपदा तैयारियों पर व्यय धीमी गति से होने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" –

(क) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹374431.00 लाख की बचत (₹381742.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी फैलने के कारण कुछ राज्यों द्वारा स्कीमें कार्यान्वित न किए जाने की वजह से हुई।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹73117.00 लाख की बचत (₹119971.00 लाख के

(ii) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹2766.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3328.00 lakhs) was due to delay in establishing National Organ Transplant and Tissues Organisation/ State Organ Transplant and Tissues Organisations.

(iii) "Other Health Schemes (Pilot)" - saving of ₹512.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure owing to COVID-19 pandemic.

(iv) "Human Resources Development for Emergency Medical Services" - saving of ₹4673.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6405.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure on disaster preparedness owing to non-finalisation of Detailed Project Report (DPR) of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (BRN) centres.

(D) "General" -

(a) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority (NIF)" - saving of ₹374431.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹381742.00 lakhs) was due to non-implementation of schemes by some states owing to spread of COVID-19 pandemic.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹73117.00

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना – राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹36865.00 लाख की बचत (₹62086.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 संक्रमण के डर तथा निजी और सार्वजनिक अस्पतालों को समर्पित कोविड–19 अस्पतालों में परिवर्तित किए जाने की वजह से गैर–गंभीर रोगियों को अस्पताल में दाखिल न किए जाने/उनका उपचार न किए जाने/इलेक्टिव सर्जरी न होने और लॉकडाउन/आने–जाने में प्रतिबंध होने के कारण राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा कम दावे प्राप्त किए जाने और कम आपूर्तियों के कारण हुई।

(घ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुदान" – ₹893.34 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹6390.25 लाख की बचत (₹183590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए बिलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "अवसंरचना अनुरक्षण – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र" – ₹776.11 लाख की बचत (₹3428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी

lakhs (against the sanctioned provision of ₹119971.00 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) - National Health Authority" - saving of ₹36865.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62086.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less number of non-critical hospitalization/medical treatment/elective surgeries owing to fear of infection of COVID-19 and conversion of private and public hospitals into dedicated COVID-19 hospitals, receipt of less claims by State Health Agencies owing to lockdown/restriction in movement and less supplies.

(d) "International Cooperation - Grants for International Conferences on Medical and Public Health" - saving of ₹893.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to non-holding of international conferences owing to COVID-19 pandemic.

(VI) Under Major Head "2211" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(a) "NRHM - RCH Flexible Pool" - saving of ₹6390.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹183590.00 lakhs) was due to non-finalisation of bills towards procurement of supplies under Child Health Programme.

(b) "Infrastructure Maintenance - UTs without legislature" - saving of ₹776.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3428.00 lakhs) was due to receipt of less

किए गए प्राधिकार की तुलना में कम मांग/बिल प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रशिक्षण" –

(क) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" – ₹2688.26 लाख की बचत (₹7915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्था के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण हुई।

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र नजफगढ़" – ₹805.21 लाख की बचत (₹2662.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण 100 बिस्तर वाले अस्पताल के चालू होने में देरी, वार्षिक दिवस/खेल दिवस को रद्द किए जाने, लघु कार्य कम होने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने तथा छुट्टी यात्रा रियायत के दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसंधान और मूल्यांकन – जनसांख्यिकीय तथा अन्य संचार अनुसंधान" – ₹717.48 लाख की बचत (₹2550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण पीआईपी आयोजित न किए जाने के कारण, गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे में नए पाठ्यक्रम को अनुमोदन न मिलने और जीईएम लेखे को चालू न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "जन शिक्षा – स्वास्थ्य नागरिक अभियान" – ₹16871.88 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी संगठनों द्वारा मीडिया प्रचार को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ड.) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां – गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन" – ₹4532.38 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण आपूर्तियों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण हुई।

demand/bills and utilization of less funds by the Union Territories without legislature against authorization issued.

(B) "Training" -

(a) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹2688.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7915.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the institution.

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" - saving of ₹805.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2662.00 lakhs) was due to delay in functioning of 100 bedded Hospital, cancellation of Annual Day/Sports Day, less minor works, freezing of dearness allowance and non-receipt of leave travel concession claims owing to COVID-19 pandemic.

(C) "Research and Evaluation - Demographic and Other Communication Research" - saving of ₹717.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2550.00 lakhs) was due to non-conducting of PIPs owing to COVID-19 pandemic, non-approval of new course at Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune and non-activation of GeM account.

(D) "Mass Education - Swastha Nagrik Abhiyan (SNA)" - saving of ₹16871.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to non-finalization of media campaign by the Government Organisations.

(E) "Other Services & Supplies - Social Marketing of Contraceptives" - saving of ₹4532.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to delay in procurement of supplies owing to COVID-19 pandemic.

(चा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां" – ₹14197.33 लाख की बचत (₹14636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में राष्ट्रीय निवेश निधि से निधि को परिवर्तन करके "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि" में किए जाने के कारण हुई।

(F) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for transfer to National Investment Fund (NHM)" - saving of ₹14197.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14636.00 lakhs) was due to change in fund from National Investment Fund to "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(VII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VII) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹347168.00 लाख की बचत (₹371660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(a) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - saving of ₹347168.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹371660.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the States.

(ख) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹3987.80 लाख की बचत (₹10765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने, व्यय की गति धीमी होने और उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) को वित्तपोषण बंद किए जाने के कारण हुई।

(b) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹3987.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10765.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the States, slow pace of expenditure and discontinuation of funding of Higher Education Funding Agency (HEFA).

(ग) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना – आरएसएसवाई" – ₹1802.85 लाख की बचत (₹1820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(c) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - saving of ₹1802.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1820.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from State Governments for implementation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) scheme.

(घ) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹8067.39 लाख की बचत (₹20794.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिपूर्ति प्रणाली की

(d) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹8067.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20794.00 lakhs)

वित्तपोषण पद्धति में परिवर्तन के कारण लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों के कारण तथा राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "परिवार कल्याण अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹131729.36 लाख की बचत (₹137165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹1219.33 लाख की बचत (₹3285.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) – आरएसएसवाई" – ₹509.22 लाख की बचत (₹510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹4629.00 लाख की बचत (₹6189.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) "जनजातीय उप–योजना" –

(क) "तृतीयक देखभाल कार्यक्रम/स्कीमें" – ₹629.00 लाख की बचत (₹3955.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रतिपूर्ति प्रणाली की वित्तपोषण पद्धति में बदलाव होने से राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

was due to pending utilisation certificates and non-receipt of proposals from States owing to change in funding pattern to reimbursement mode.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - saving of ₹131729.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹137165.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹1219.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3285.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from States.

(c) "Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) - RSSY" - saving of ₹509.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹510.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from State Governments for implementation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) scheme.

(d) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹4629.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6189.00 lakhs); and

(C) "Tribal Area Sub- Plan" -

(a) "Tertiary Care Programme/Schemes" - saving of ₹629.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3955.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from states owing to change in funding pattern to reimbursement mode.

(ख) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹629.87 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने तथा परिकल्पित कार्यकलापों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - saving of ₹629.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and non-materialisation of envisaged activities owing to COVID-19 pandemic.

(घ) "आरक्षित निधियो/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (एनएचएम) को अंतरण के लिए निधि" – ₹826727.00 लाख की बचत (₹1930842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(D) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for transfer to National Investment Fund (NHM)" - saving of ₹826727.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1930842.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(VIII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(A) "Central Assistance/Share" -

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹2177.66 लाख की बचत (₹46340.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "National Rural Health Mission" - saving of ₹2177.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46340.00 lakhs) was due to receipt of less demand from Union Territories with legislature.

(ख) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹10018.35 लाख की बचत (₹13481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - saving of ₹10018.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13481.00 lakhs); and

(खा) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि (एनएचएम) को अंतरण के लिए निधि" – ₹21766.00 लाख की बचत (₹57973.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Fund for transfer to National Investment Fund (NHM)" - saving of ₹21766.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57973.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IX) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹2037.48 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक थीं।

(IX) Under five heads savings of ₹2037.48 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 78 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1375305.29 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1882584.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹1375305.29 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1882584.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – सीजीएचएस पेंशनभोगियों का मेडिकल उपचार – केन्द्रीय सरकार पेंशनभोगी" – ₹105483.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹104392.33 लाख था।

(A) Major Head "2071" - "Civil-Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" - ₹105483.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹104392.33 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" –

- (क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल और औषधालय – सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹28848.80 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹18313.03 लाख था।
- (ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी" –
  - (i) "लेडी हार्डिंग चिकित्सा कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल" – ₹3551.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1507.27 लाख था।
  - (ii) "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" – ₹48500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹26000.00 लाख था।
  - (iii) "इंदिरा गांधी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग को अनुदान" – ₹30995.00 लाख।

(B) Major Head "2210" -

- (a) "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - ₹28848.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹18313.03 lakhs.
- (b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy" -
  - (i) "Lady Harding Medical College and Smt. S.K. Hospital" - ₹3551.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1507.21 lakhs.
  - (ii) "Grants to Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - ₹48500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹26000.00 lakhs.
  - (iii) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong" - ₹30995.00 lakhs.

(iv) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" – ₹42160.00 लाख।

(ग) "लोक स्वास्थ्य – बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹13600.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7352.00 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹219457.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹242413.07 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹3169.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3168.00 लाख था।

(iii) "स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹36830.00 लाख।

(iv) "अवसंरचना अनुरक्षण (पीएमएसएसएन)" – ₹372703.11 लाख।

(v) "स्वास्थ्य देखभाल कामगारों और फ्रंटलाइन कामगारों के लिए कोविड–19 टीकाकरण" – ₹24402.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹12630.28 लाख था।

(ख) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹179019.71 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹185651.49 लाख था।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(iv) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" - ₹42160.00 lakhs.

(c) "Public Health - Prevention and Control of Diseases - National Rural Health Mission" - ₹13600.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7352.00 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/ Share" -

(i) "National Rural Health Mission" - ₹219457.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹242413.07 lakhs.

(ii) "National Urban Health Mission" - ₹3169.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3168.00 lakhs.

(iii) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹36830.00 lakhs.

(iv) "Infrastructure Maintenance (PMSSN)" - ₹372703.11 lakhs.

(v) "COVID-19 Vaccination for Health Care Worker and Frontline Workers" - ₹24402.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12630.28 lakhs.

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Health Mission" - ₹179019.71 lakhs. Actual excess, however, was ₹185651.49 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹46538.86 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹45184.94 लाख था।

(ii) "राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन" – ₹654.00 लाख।

(iii) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹11219.00 लाख।

(iv) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि – पीएमएसएसएन से सहायता)" – ₹137165.00 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹56742.81 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹56085.08 लाख था।

(ii) "स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹5811.00 लाख।

(iii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि – पीएमएसएसएन से सहायता)" – ₹8456.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – केन्द्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम – औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" – ₹18373.60 लाख का अधिक व्यय (₹124752.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक

(i) "National Rural Health Mission" - ₹46538.86 lakhs. Actual excess, however, was ₹45184.94 lakhs.

(ii) "National Urban Health Mission" - ₹654.00 lakhs.

(iii) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹11219.00 lakhs.

(iv) "FW - Infrastructure Maintenance (Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi - PMSSN)" - ₹137165.00 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "National Rural Health Mission" - ₹56742.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹56085.08 lakhs.

(ii) "Human Resources for Health & Medical Education" - ₹5811.00 lakhs.

(iii) "FW - Infrastructure Maintenance (Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi - PMSSN)" - ₹8456.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services -Allopathy - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - excess of ₹18373.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹124752.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization of

शीर्षों को किए जाने, रिक्त पद भरे जाने तथा भत्तों में बढ़ोतरी के कारण हुआ।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी" –

(i) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलौर को अनुदान" – ₹4000.00 लाख का अधिक व्यय (₹43443.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नर्स हॉस्टल, मनोचिकित्सा में स्पेशलिटी ब्लॉक, सामान्य प्रयोगशाला कॉम्प्लेक्स का निर्माण किए जाने, आईटी नेटवर्क में सुधार इत्यादि के कारण हुआ।

(ii) "सेवाग्राम में चिकित्सा कॉलेज के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा को अनुदान" – ₹2341.44 लाख का अधिक व्यय (₹6658.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन और कोविड–19 महामारी पर रोक लगाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(iii) "डॉ. राममनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" – ₹2873.30 लाख का अधिक व्यय (₹9490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली से कुछ पदो को स्थानांतरित किए जाने, रिक्त पदों को भरे जाने तथा भत्तों में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ।

(iv) "लोकोप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर" –

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim, filling up of vacant posts and increase in allowances.

(b) "Medical Education, Training and Research-Allopathy" -

(i) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore" - excess of ₹4000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43443.00 lakhs) was due to construction of Nurses Hostel, Speciality Block in Psychiatry, Common Laboratory Complex, IT Network Revamping and other works.

(ii) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" - excess of ₹2341.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6658.00 lakhs) was due to implementation of recommendation of 7th Central Pay Commission and requirement of additional funds towards containment of COVID-19 pandemic.

(iii) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" - excess of ₹2873.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9490.00 lakhs) was due to transfer of certain posts of doctors from Dr. R.M.L. Hospital, New Delhi, filling up of vacant posts and increase in allowances.

(iv) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" - excess of

₹5200.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(v) "क्षेत्रीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान (आरआईपीएएनएस), आइजोल" – ₹4300.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(vi) "लाला राम सरूप टी.बी. और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली" – ₹995.00 लाख का अधिक व्यय (₹7703.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने और कोविड–19 महामारी के लिए उपभोज्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुआ।

(क) "लोक स्वास्थ्य" –

(i) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण – राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹26041.21 लाख का अधिक व्यय (₹255026.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वचनबद्ध दायित्वों के निपटान के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "अन्य व्यय" –

(1) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तप्तरता एवं प्रतिक्रिया" – ₹92710.00 लाख का अधिक व्यय (₹2173.00 लाख के

₹5200.00 lakh (against nil provision); and

(v) "Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences (RIPANS), Aizawl" - excess of ₹4300.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(vi) "Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" - excess of ₹995.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7703.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and procurement of consumables towards COVID-19 pandemic.

(c) "Public Health" -

(i) "Prevention and Control of Diseases - National AIDS and STD Control Programme" - excess of ₹26041.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹255026.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of committed liabilities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Other Expenditure" -

(1) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - excess of ₹92710.00 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण औषधियों और सामग्रियों की अधिक मांग होने के कारण हुआ।

(2) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹972.80 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने के कारण हुई।

(घ) "सामान्य" –

(i) "स्वास्थ्य सांख्यिकी तथा मूल्यांकन – स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹1108.29 लाख का अधिक व्यय (₹2035.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन रिपोजिटरी योजना के पिछले वित्तीय वर्ष के लंबिल बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)" –

(1) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (जीबीएस)" – ₹2571.90 लाख का अधिक व्यय (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12542.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेशनल डिजिटल हैल्थ मिशन के प्रथम चरण को आरंभ किए जाने के कारण हुआ।

(2) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" – ₹176557.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) वित्त

(against the sanctioned provision of ₹2173.00 lakhs) was due to more demand for drugs and supplies owing to COVID-19 pandemic.

(2) "Expenditure in UTs without Legislature" - excess of ₹972.80 lakhs (against nil provision) was due to strengthening of drug reglatory system in UTs without Legislature.

(d) "General" -

(i) "Health Statistics and Evaluation - Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" - excess of ₹1108.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2035.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending bills of National Health Resource Repository Scheme of previous financial year.

(ii) "Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)" -

(1) "National Health Authority (GBS)" - excess of ₹2571.90 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12542.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to launch of first phase of Nation Digital Health Mission.

(2) "National Health Authority (PMSSN)" - excess of ₹176557.00 lakhs (against nil

मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि" बनाए जाने के कारण हुआ।

provision) was due to creation of "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को अंशदान" – ₹3655.86 लाख का अधिक व्यय (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व स्वास्थ्य संगठन को आकलन में वृद्धि तथा स्वैच्छिक अंशदान के कारण हुआ।

(iii) "International Cooperation - Contribution to WHO and Other International Agencies" - excess of ₹3655.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to increased assessed and voluntary contribution to World Health Organisation.

(गा) मुख्य शीर्ष "2211" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – जनसंख्या स्थिरता कोष" – ₹893.79 लाख का अधिक व्यय (₹1150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित कर देयताओं के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम" –

(i) "एनआरएचएम – आरसीएच लचीला पूल" – ₹1350.40 लाख का अधिक व्यय (₹14066.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई हेतु सुदृढ़ीकरण और पिछले वर्ष के बकाया दावों के निपटान के कारण हुआ।

(ii) "विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना" – ₹8859.00 लाख का अधिक व्यय (₹4000.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना की लंबित देयताओं के निपटान के लिए

(C) Major Head "2211" -

(a) "Direction and Administration - Janasankhya Sthirta Kosh (JSK)" - excess of ₹893.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 laksh) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending tax liabilities.

(b) "Reproductive and Child Health Programme" -

(i) "NRHM-RCH Flexible Pool" - excess of ₹1350.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14066.00 lakhs) was due to strengthening of Union Territories without legislature to fight COVID-19 pandemic and clearance of outstanding claims of previous year.

(ii) "WHO Supported National Polio Surveillance Project (NPS)" - excess of ₹8859.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to requirement of

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकताओं के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – आशा लाभ पैकेज" – ₹3738.00 लाख का अधिक व्यय (₹51082.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण" – ₹3714.00 लाख का अधिक व्यय (₹62695.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने तथा कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए राज्यों में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "आशा लाभ पैकेज" – ₹959.00 लाख का अधिक व्यय (₹7960.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(ड.) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "राज्य औषधि विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹581.00 लाख का अधिक

additional funds towards clearance of pending liabilities of the project.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share-ASHA Benefit Package" - excess of ₹3738.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51082.00 lakhs); and

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Family Welfare - Infrastructure Maintenance" - excess of ₹3714.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62695.00 lakhs).

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional head for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards strengthening of health infrastructure in States to fight COVID-19 pandemic.

(ii) "ASHA Benefit Packages" - excess of ₹959.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7960.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(E) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "Strengthening of State Drug Regulatory System" - excess of

व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) नए बनाए गए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "परिवार कल्याण – अवसंरचना अनुरक्षण (प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से सहायता)" – ₹8973.89 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में नई सार्वजनिक निधि "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि" बनाए जाने के कारण हुआ।

(iii) "स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों तथा फ्रंटलाईन कार्मिकों के लिए कोविड–19 टीकाकरण" – ₹1056.12 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों का कोविड–19 महामारी से स्वास्थ्य सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" – ₹6931.00 लाख का अधिक व्यय (₹93653.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹96609.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन" – ₹3004.00 लाख का अधिक व्यय (₹675.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में नया चिकित्सा कॉलेज खोले जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹78488.58 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए

₹581.00 lakhs (against nil provision) was due to release of funds to the newly created Union Territory of Jammu and Kashmir.

(ii) "FW - Infrastructure Maintenance (Support from Pradhan Mantri Swasthya Surksha Nidhi - PMSSN)" - excess of ₹8973.89 lakhs (against nil provision) was due to creation of new public fund "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)" at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) "COVID-19 Vaccination for Health Care Worker and Frontline Workers" - excess of ₹1056.12 lakhs (against nil provision) was due to requirement of additional funds towards securing health care workers from COVID-19 pandemic.

(b) "Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Health Mission" - excess of ₹6931.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹96609.00 lakhs including supplementary grant of ₹93653.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards fighting COVID-19 pandemic.

(c) "Tribal Area Sub-Plan-Human Resources for Health & Medical Education" - excess of ₹3004.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹675.00 lakhs) was due to establishing new medical college in the Union Territory of Jammu and Kashmir.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹78488.58 lakhs) constituted 30 percent of

₹263828.00 लाख के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

the supplementary grants of ₹263828.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	161209.00			
पू.	S.	263825.00	368809.00	357823.01	-10985.99
पु.	R.	-56225.00			
मुख्य शीर्ष "4211"	Major Head "4211"				
परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	1000.00			
			715.00	399.39	-315.61
पु.	R.	-285.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-10000.00			

(I) ₹76097.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹75230.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹76097.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakhs) remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹75230.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" –

(A) "Major Head 4210" -

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान" –

(a) "Medical Education, Training and Research" -

(i) "एलोपैथी – राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली" – ₹700.00 लाख – संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्यों की गति धीमी होने के कारण।

(i) "Allopathy - Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" - ₹700.00 lakhs - due to slow pace of construction works by the concerned agencies.

(ii) आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹61590.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(ii) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Support from Central Roads and Infrastructure Fund (CRIF)" - ₹61590.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम – डब्ल्यूएचओ – एसईएआरओ भवन, नई दिल्ली का पुनर्निर्माण" – ₹2939.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण डब्ल्यूएचओ एसईएआरओ भवन के पुनर्निर्माण कार्य को शुरू करने में विलंब होने और एनबीसीसी से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने में देरी होने के कारण।

(b) "Public Health - Other Programmes - Reconstruction of WHO-SEARO Building, New Delhi" - ₹2939.00 lakhs - due to delay in start of reconstruction work owing to COVID-19 pandemic and delay in receipt of utilisation certificates from NBCC.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" –

(B) "Major Head "4552" -

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एलोपैथी – प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹5001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।

(a) "Medical Education, Training and Research Allopathy - Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹5001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से सहायता" – ₹5000.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(b) "Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Support from Central Roads and Infrastructure Fund (CRIF)" - ₹5000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "4210" – "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम – के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "4210" - "Public Health - Other Programmes" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र" – ₹1000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4300.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5300.00 लाख किया गया जो, तथापि ₹2046.38 लाख की सीमा तक – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में व्यय की गति धीमी होने के कारण प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) "National Centre for Disease Control" - the original provision of ₹1000.00 lakhs was augmented to ₹5300.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4300.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2046.38 lakhs) - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(खा) "आपातकालीन महामारी तैयारी तथा मोचन" – ₹109800.00 लाख की निधि पूरक अनुदान प्राप्त करके मुहैया कराई गई थी जो, तथापि, ₹39585.79 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्यों की धीमी गति होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(B) "Emergency Epidemic Preparedness and Response" - funds of ₹109800.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilized to the extent of ₹39585.79 lakhs - due to slow progress of construction works by implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष "4210" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(III) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना – औषधालय/अस्पताल खोले जाना" – ₹850.63 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की गति धीमी होने, विक्रेताओं द्वारा अपर्याप्त भागीदारी की वजह से अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण उत्पाद गुणवत्ता तथा सामानों की आपूर्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Urban Health Services - Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹850.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to slow pace of work by Central Public Works Department, non-finalisation of procurement process owing to insufficient participation by the vendors, product quality and delay in supply of goods owing to COVID-19 pandemic.

(का) "लोक स्वास्थ्य – अन्य कार्यक्रम" –

(क) "राष्ट्रीय एड्स तथा एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम" – ₹4905.65 लाख की बचत (₹5384.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं मोचन" – ₹4419.03 लाख की बचत (₹4422.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य की धीमी गति होने के कारण हुईं।

(ग) "एनसीडीसी शाखाओं तथा स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण – जूनोटिक बीमारियों तथा अन्य उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय बीमारियों की तैयारी तथा नियंत्रण के लिए अंतर–क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपाटाइटिस, एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोधकता की निगरानी" – ₹1268.33 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नए भवन से संबंधित कार्य शुरू करने के लिए प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने में देरी होने, भूमि के अभिनिर्धारण में देरी होने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने और बैठक रद्द किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4211" – "अन्य व्यय – परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंबई" – ₹580.61 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोविड–19 लॉकडाउन की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुई।

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹592.23 लाख की बचतें हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान

(B) "Public Health - Other Programmes" -

(a) "National AIDS and STD Control Programme" - saving of ₹4905.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5384.00 lakhs); and

(b) "Health Sector Disaster Preparedness and Response" - saving of ₹4419.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4422.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of construction work by the implementing agencies owing to COVID-19 pandemic.

(c) "Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter Sectoral Co-ordination for preparation and Control of Zoonotic Diseases and other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance" - saving of ₹1268.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in completion of administrative formalities for start of work by Central Public Works Department related to new building, delay in identification of land, less tours and suspension of meetings owing to COVID -19 pandemic.

(IV) Under Major Head "4211" - Other Expenditure-Family Welfare Training & Research Centre, Mumbai" - saving of ₹580.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department owing to restrictions imposed during COVID-19 lockdown.

(V) Under two heads savings of ₹592.23 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and

का 37 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थीं।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹59099.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹263825.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल और औषधालय" –

(क) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹12124.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹11877.90 लाख था।

(ख) "डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" – ₹1800.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹674.40 लाख था।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – एलोपैथी" –

(क) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमति एस.के. अस्पताल" – ₹12897.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹8348.10 लाख था।

(ख) "प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" – ₹32277.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹31720.66 लाख था।

constituting 37 percent and 33 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹59099.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹263825.00 lakhs under Major Head "4210" - under the following heads:-

(A) "Urban Health Services-Hospitals and Dispensaries" -

(a) "Safdarjung Hospital, New Delhi" - ₹12124.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹11877.90 lakhs.

(b) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" - ₹1800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹674.40 lakhs.

(B) "Medical Education, Training & Research - Allopathy" -

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - ₹12897.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8348.10 lakhs.

(b) "Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)" - ₹32277.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹31720.66 lakhs.